

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही  
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

1. समरथ पुत्र जेठाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- वेलांगरी, तह. व जिला- सिरौही
2. नोनाराम पुत्र वीराजी, जाति- मेघवाल, निवासी- वेलांगरी, तह. व जिला- सिरौही
3. कालुराम पुत्र सुजारामजी, जाति-मेघवाल, निवासी-वेलांगरी, तह. व जिला- सिरौही
4. वीसाराम पुत्र गोमाजी, जाति- मेघवाल, निवासी-वेलांगरी, तह. व जिला- सिरौही
5. भीमाराम पुत्र भुबाजी, जाति- मेघवाल, निवासी-वेलांगरी, तह. व जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, वेलांगरी जरिये सरपंच, तहसील व जिला- सिरौही
2. दलाराम पुत्र भीकाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- वेलांगरी, तह. व जिला- सिरौही

प्रार्थना पत्र संख्या: 19/2020

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 24 अगस्त, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, वेलांगरी द्वारा अप्रार्थी दलाराम पुत्र भीकाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- वेलांगरी के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1574.50 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 06.7.2017 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(1) के तहत प्रस्तुत किये गये निगरानी आवेदन के साथ साथ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(2) के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध ताफैसला निगरानी आवेदन प्रश्नगत पट्टे की पालना व क्रियान्विति को रोकने व मौके की यथास्थिति बनाये रखवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र राजपुरोहित एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवड़ा उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का अलग अलग लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष की दिनांक 13.8.2020 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण के पुश्तैनी संयुक्त स्वामित्व की

.....पेज दो

बह



सम्पति ग्राम वेलांगरी में आई हुई है जिसके उत्तर दिशा में देवीबेन लुहार का मकान, दक्षिण में अम्बालाल जैन का मकान, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में चुनाराम घांची व रमेशजी सुथार का मकान आया हुआ है। उक्त नाप व चतुर्दशी की सम्पति प्रार्थीगण के पूर्वज स्वर्गीय भीखाजी, केसाजी पुत्रगण भावाजी के कब्जे भोगवटे की थी जिस पर दोनों भाई पुराने समय से काबिज होकर संयुक्त रूप से उपयोग व उपभोग कर रहे थे। उक्त संयुक्त स्वामित्व की सम्पति पर स्वर्गीय श्री भीखाजी, केसाजी पुत्रगण भावाजी मेघवाल के वारिसान संयुक्त रूप से काबिज है। उक्त संयुक्त स्वामित्व की सम्पति में बने आवासीय मकानों में सभी वारिसान अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। मकानों के अलावा शेष भूमि का सभी शामलाती में उपयोग व उपभोग करते हैं। उक्त सम्पति का विभाजन अभी नहीं हुआ है। यह कि उक्त सम्पति में आने जाने हेतु पूर्व दिशा की तरफ सभी के शामलाती माड बनी हुई है जिसमें बने रास्ते से सभी परिवारजन उक्त सम्पति में आते जाते हैं। उक्त शामलाती माड का सभी परिवारजन पिछले कई वर्षों से लगातार बिना किसी रुकावट के उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या-2 ने इस न्यायालय में निगरानी आवेदन व यह प्रार्थना पत्र पेश करने के 4-5 दिन पूर्व उक्त शामलाती माड को तोड़ना शुरू किया व प्रार्थीगण की शामलाती भूमि में नींव खोदना शुरू कर प्रार्थीगण के मकानात में आने जाने में अवरोध पैदा करने पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को रोका गया तो अप्रार्थी संख्या-2 ने विवादित भूमि का पट्टा संख्या 36 दिनांक 06.7.2017 को अपने पक्ष में ग्राम पंचायत, वेलांगरी द्वारा जारी किया जाना बताया। यह कि अप्रार्थी संख्या-2 ने ग्राम पंचायत से मेल मिलाप कर शामलाती माड व भूमि का पट्टा अपने नाम से बनवा लिया है। यह कि ग्राम पंचायत को प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या-2 के शामलाती माड व भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। शामलाती सम्पति में सभी सहस्वामियों का प्रत्येक इंच भूमि पर समान अधिकार है। उक्त शामलाती माड व भूमि का अभी तक बंटवाड नहीं हुआ है। अप्रार्थी संख्या-2 ने भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त शामलाती माड व भूमि अप्रार्थी संख्या-2 के हिस्से में आई हुई हो। ग्राम पंचायत, वेलांगरी ने विधि में प्रदत्त प्रावधानों का पालना किये बिना ही गुप्त चुप तरीके से अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में पट्टा जारी किया है जो विधि अनुसार नहीं है। यह कि उक्त पट्टे की आड में अप्रार्थी संख्या-2 प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य करवाने हेतु आमदा है और यदि मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ तो प्रार्थीगण के मकानात में आने-जाने का रास्ता ही बन्द हो जायेगा। मौके पर निर्माण कार्य चालू होने की स्थिति में विवाद भी होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2006(1)DNJ(Raj.)421 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि भूमि के विवाद में मूल वाद या निगरानी के निर्णय तक किसी भी पक्ष को भूमि की स्थिति परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसलिये निगरानी आवेदन के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री देवडा ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित

.....पेज तीन

करते हुए यह व्यक्त किया कि उक्त पट्टे से संबंधित भूमि अप्रार्थी संख्या-2 के हक हिस्से की भूमि है, इस भूमि से प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थीगण ने अपने-अपने हक हिस्से की भूमि ले ली है तथा विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या-2 के हिस्से की है। विवादित भूमि शामिली माड की भूमि नहीं है, बल्कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या-2 का कच्चा मकान बना हुआ था एवं ग्राम पंचायत, वेलांगरी ने अप्रार्थी संख्या-2 के आवेदन पर नियमानुसार बाद जांच अप्रार्थी संख्या-2 को उसके पुश्तैनी मकान की भूमि का पट्टा संख्या 36 दिनांक 06.7.2017 को जारी किया है। ग्राम पंचायत, वेलांगरी ने पट्टा जारी करने से पूर्व तीन वार्ड पंचों से भूमि का पौका निरीक्षण व जांच करवाई है एवं आपत्ति नोटिस भी जारी किया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी कलमबद्ध किये हैं। ग्राम पंचायत, वेलांगरी ने राजस्थान पंचायती राज नियमों में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुए अप्रार्थी संख्या-2 को उसके पुश्तैनी मकान का विधि अनुसार पट्टा जारी किया है। यह कि प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण के अलग अलग मकान बने हुए हैं तथा प्रार्थीगण के मकानात में आने-जाने का रास्ता पूर्व में सभी के आने का रास्ता गली से है। यह कि अप्रार्थी संख्या-2 के पुराने कच्चे मकान में वर्षा का पानी टपकता था, इसलिये पुराने कच्चे मकान को हटवाकर ग्राम पंचायत, वेलांगरी से नियमानुसार निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा अपने पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। प्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नहीं है कि अप्रार्थी संख्या-2 को निर्माण कार्य बंद करवाये। अप्रार्थी संख्या-2 को पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य करने से रोका जाता है तो अप्रार्थी संख्या-2 को अतुलनीय क्षति होगी एवं अप्रार्थी संख्या-2 की मौके पर पड़ी निर्माण सामग्री भी खराब होने की संभावना बनी हुई है। विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थीगण के पास कोई दस्तावेज नहीं है, जबकि विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या-2 का कच्चा मकान बना हुआ होने व मौके पर अप्रार्थी संख्या-2 काबिज होने के कारण ग्राम पंचायत, वेलांगरी द्वारा नियमानुसार जारी किया हुआ पट्टा है। अप्रार्थी संख्या-2 के पास विवादित भूमि के स्वामित्व का टाइटल ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार जारी किया हुआ पट्टा है जो पंजीकृत है, जबकि प्रार्थीगण के पास विवादित भूमि के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है जिससे प्रार्थीगण का मालिकाना हक या हक हिस्सा साबित होता हो। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में ही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या-1 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित नाप व चतुर्दशी का प्रार्थीगण के हक अधिकार का कोई भूखण्ड ग्राम पंचायत, वेलांगरी के क्षेत्राधिकार में नहीं है एवं भूखण्ड नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के कब्जे भोगवटे का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मौके पर अप्रार्थी संख्या-2 का इन्द्रा आवास योजना में निर्मित गृह का ग्राम पंचायत, वेलांगरी द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के आवेदन पर राजस्थान पंचायती राज नियमों में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए बाद जांच नियमानुसार पट्टा जारी किया है, जिसमें ग्राम पंचायत, वेलांगरी द्वारा कोई अनियमिता या विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या-2

के आवेदन करने पर पुराना मकान गिराकर उसके स्थान पर नये मकान बनाने की निर्माण स्वीकृति नियमानुसार पंचायत द्वारा शुल्क लेकर जारी की गई है एवं अप्रार्थी संख्या-2 को उक्त पट्टे में अंकित नाप व चतुर्दशी के भूखण्ड पर निर्माण कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। प्रार्थीगण के पास विवादित भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में है, इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, वेलांगरी द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1574.50 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 06.7.2017 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(1) के तहत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साथ उक्त अधिनियम की धारा 97 की उपधारा 2 के तहत यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि ग्राम पंचायत, वेलांगरी द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि संयुक्त स्वामित्व की शामलाती भूमि व शामलाती माड की भूमि है। प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि उक्त संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है व उक्त सम्पत्ति में आने जाने हेतु पूर्व दिशा की तरफ सभी के शामलाती माड बनी हुई है जिसमें बने रास्ते से सभी परिवारजन उक्त सम्पत्ति में आते जाते हैं। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 का यह कथन है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि से प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है तथा न ही विवादित भूमि शामलाती भूमि/शामलाती माड की भूमि है। विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या-2 के हक हिस्से की है, जिस पर अप्रार्थी संख्या-2 का कच्चा मकान बना हुआ था। अप्रार्थी संख्या-2 के कच्चे मकान में वर्षा में पानी टपकता था, इस कारण कच्चे मकान को हटाकर ग्राम पंचायत, वेलांगरी से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर पट्टेशुदा भूमि में निर्माण कार्य करवाया जा रहा था।

इस प्रकार, दोनों पक्षों के उक्त कथनों से यह तथ्य स्पष्ट है कि इस प्रकरण में मुख्य विवाद भूमि के स्वामित्व का है। जहां एक तरफ, प्रार्थीगण विवादित भूमि को संयुक्त स्वामित्व की शामलाती भूमि होना बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, अप्रार्थीगण प्रश्नगत पट्टे की भूमि को अप्रार्थी संख्या-2 के स्वामित्व के मकान की भूमि होना बता रहे हैं।

जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा विधिक दृष्टान्त 2006(1)DNJ(Raj,)421 में यह अभिनिर्धारित किया है कि "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 39 नियम 1 व 2-अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवेदन खारिज किया-भूमि का विवाद-वाद पेश करने की दिनांक से यथावत् स्थिति का आदेश अस्तित्व में है-प्रथम दृष्टिया यदि कोई मामला है, यथावत् आदेश परिरक्षित करना चाहिये-इस प्रक्रम पर किसी भी पक्ष को स्थिति परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती-निर्णित, वाद के निर्णय तक पक्षकारों को यथावत् स्थिति रखने का आदेश दिया।" ...पेज पांच

चूंकि इस प्रकरण में भी इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस तामिल होने के बाद विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये थे और यह आदेश आदिनांक तक अस्तित्व में है। ऐसी स्थिति में, इस प्रकरण में भी इस प्रक्रम पर किसी भी पक्ष को मौके की स्थिति परिवर्तन करने की अनुमति दी जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला निगरानी आवेदन पक्षकारान को ग्राम पंचायत, वेलांगरी द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 06.7.2017 की भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थी संख्या-2 को आदेशित किया जाता है कि निगरानी आवेदन के निर्णय तक उक्त पट्टा संख्या 36 दिनांक 06.7.2017 की भूमि पर निर्माण कार्य नहीं करे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(गितेश श्री मालवीया)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सिरोही